गृह मंत्रालय

(पर्स-I डेस्क)

***

विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशष भर्ती अभियान।

***

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2013 के पत्र के साथ समन्वय-II , गृह मंत्रालय का दिनांक 28.6.2013 का कार्यालय ज्ञापन संलग्न है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु विषेष भर्ती अभियान (एस आर डी) की स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 23.05.2013 को मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी। बैठक के दौरान, मंत्रिमंडल ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, दिनांक 14.05.2013 के मंत्रिमंडल नोट के 5.2.2.3 पैराग्राफों में दिए गए उपायों को अनुमोदित कर दिया था:-

5.2.2.3 **<u>आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने हेतु किए जाने वाले उपाय</u>**

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की कमतर रोजगार क्षमता की समस्या के निराकरण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- व्यावसायिक योग्यताओं की अपेक्षा वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित/विभाग, कतिपय रियायतें प्रदान करते हुए छह माह के अन्दर विशेष भर्ती अभियान शुरू करने संबंधी निर्णण् लें ताकि रिक्त स्थानों को भरा जा सके।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उनकी तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा पूरी होने के बाद समापन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजाति कार्य मंत्रालय ऐसे कार्यक्रमों का आविष्कार करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों को राज्य तथा राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करके क्रियान्वित कया जाना चाहिए।

- गैर-व्यावसायिक योग्यता की अपेक्षा वाले पदों के लिए आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों हेतु साक्षत्कार कौशल तथा अंग्रेजी में प्रवीणता के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आविष्कार किया जाना चाहिए।
- सफल हुए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची/प्रतीक्षा सूची मुहैया कराए जाने के मुद्दे को भर्ती एजेंसियों के साथ उठाया जाएगा ताकि उस स्थिति में, जब उच्चतर योग्यता प्रापत आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी पदभार न ग्रहण करें तो आरक्षित सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों से उस पद को भरा जा सके।
- सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पी डब्ल्यू डी की कम रोजगार क्षमता के मुद्दे संबंधी कारणों की गहराई से विश्लेषण किए जाने और उपचारी उपाय सुझाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय, रेलवे जैसे बड़े मंत्रालयों और सरकारी भर्ती एजेंसियों के प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करना उपयुक्त होगा। इस स्थिति को रिक्तियों के भरने में बकाया के विशिष्ट कारणों का पता लगाना चाहिए तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने हेतु उपाय सुझाने चाहिए।
- अशक्त व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक पदों की पहचान की जाए। उपयुक्त आवास/प्रौद्योगिकी मदद मुहैया कराकर माइक्रो विनिर्देशों को उदार बनाया जाए।
- समावेशी स्कूलों/कॉलेजों की स्थापना के लिए स्कीमें शुरू की जाएं जहां अक्षम व्यक्ति की शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि शिक्षित व्यक्तियों विशेषतया श्रवण अशक्त श्रेणी के शिक्षित व्यक्तियों के अभाव को दूर किया जा सके।
- जहां तक अक्षम व्यक्तियों के अवसर की जागरूकता का प्रश्न है, नि:शक्तता कार्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को स्कीमों/कार्यक्रमों/नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी देने के प्रचार-प्रसार का कार्य सौंपा जाए।

3. उपर्युक्त के अलावा, सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से यह अनुरोध किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:-

क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे पदों, जिनमें विशेष कौशल तथा व्यावसायिक योग्यताओं जैसे-आशुलिपिकीय कौशल, टंकण, रेडियो, संचार, मैकेनिक आदि की अपेक्षा हो, के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं।

ख) सहायक अधिकारियों के लिए भर्ती अभियान अलग से संचालित किए जाएं ताकि उम्मीदवार दोनों अभियानों में अवसर का लाभ उठा सकें अर्थात् आशुलिपिक एवं लिपिकीय भर्ती अभियान अलग-अलग चलाए जाएं और इन्हें एक साथ न संचालित किया जाए।

ग) यदि, बकाया रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ऐसे कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिन्होंने मेरिट पर लिखित परीक्षा पास की हो ताकि ऐसे कार्मिकों को 06 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। विशेष प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात के आधार पर बुलाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को, जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां लागू न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य वजीफा प्रदान किया जाए, इसके बाद समुचित कौशल परीक्षण लिया जाएगा। केवल उन्हीं उम्ीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो कौशल परीक्षण पास करेंगे।

घ) विशेष भर्ती अभियान को व्यापक रूप से विज्ञापित करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विज्ञापन की प्रतियां अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोगों और संबंधित राज्य आयोगों को अग्रेषित करेंगे। विज्ञापन की प्रतियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को भी इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाएं कि वे इस विज्ञापन को व्यापक रूप से परिचालित करें।

4. अत: सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से भी अनुरोध है कि वे शेष बची बिना भरी बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2013 के मंत्रिमंडल नोट के पैराग्राफ 5.2.2.3 में अंतर्विष्ट सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी - अपनी कार्ययोजना 25.07.2013 तक प्रस्तुत कर दें।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

हस्ता0/-

(हरीश चन्दर)

उप सचिव (पर्स-I)

महानिदेशक: के.औ.सु.ब., भा.ति.सी.पु., के.रि.पु.ब., सी.सु.ब., स.सी.ब. एवं असम राइफल्स
निदेशक: आसूचना ब्यूरो

गृह मंत्रालय आई डी नोट सं. 45026/19/2011-पर्स-I दिनांक 15 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि प्रेषित:
निदेशक (पर्स)